ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट से संबंधित विभिन्न जन प्रतिनिधियों द्वारा की गयी मांग का विवरण

क्र. स.	जन प्रतिनिधिं का नाम	मांग का विवरण	विभागीय टिप्पणी
1.	श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या", विधायक चित्तौड़गढ	पंचायत समिति चित्तौड़गढ के घाटा क्षेत्र के 85 ग्रामों को मगरा विकास योजना से जोडने की स्वीकृति के संबंध में।	मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत पंचायत समिति के गॉवों को जोड़ने हेतु जिला कलक्टर चित्तौड़गढ को इस कार्यालय के पत्र कमांक प. 13 (8) ग्रावि./ग्रुप–6/ 2005/3451 दिनांक 19.01.2018 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर प्रस्तावित गॉवों को सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया है तथा इस हेतु विभागीय आदेश प. 5(1) ग्प्रवि/6/डीएमएम/2015 दिनांक 02.05.2017 द्वारा जिला स्तर पर प्रशासनिक मद की एक प्रतिशत राशि में से सर्वे का कार्य अपने स्तर पर कराये जाने के निर्देश भी दिये गये है। उपरोक्त आधार पर जिला कलक्टर, प्रस्तावित गॉवों का सर्वे करवा कर तदनुसार अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर सकते है। (आदेश की प्रति संलग्न)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–6)

क्रमांक प. 13(8)ग्रा.वि./ग्रुप–6/2005 3451 जयपुर, दिनांक 19/01/2018

जिला कलक्टर,
चितौड़गढ़।

विषय :– मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत पंचायत समितियों को जोड़ने बाबत्।
प्रसंग :– आपका पत्रांक क्रमांक प. 13(7)ग्रावि/मगरा/ग्रुप–6/2017/3140–3052 दिनांक 10.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मगरा योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्ड निम्न प्रकार तय किये गये है। (प्रतिलिपि संलग्न)

1. उक्त क्षेत्र पारम्परिक पहचान के रूप में रावत, मेहरात/काठात समुदाय से संबंधित/चिन्हित एवं पहचान के रूप में जाना जाता हो।
2. कुल क्षेत्र का 50 प्रतिशत से कम क्षेत्र खेती के कार्य आता हो एवं यह क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो/लगातार हो।
3. क्षेत्र का चयन प्राथमिक दौर पर पंचायत समिति युनिट, तत्पश्चात गांव के चयन के आधार पर किया जाना चाहिये। यदि पंचायत समिति के कुछ गांव ही चयन में आते हो तो उन गांवों का चयन किया जाये जो एक (1) कलस्टर बनाते हो (2) इस पूर्ण कलस्टर की न्युनतम जनसंख्या 10,000 हो।

योजना की मार्गदशिका के अनुसार प्रत्येक गांव में वर्तमान में उपलब्ध परिसम्पत्तियों की एवं आवश्यक परिसम्पत्तियों का विवरण निम्न तालिका में संलग्न कर प्रेषित करे।

गांव का नाम ––––ग्राम पंचायत ––––पंचायत समिति––––गांव की जनसंख्या (2011 जनगणना के आधार पर)

गतिविधि	वर्तमान में गांव में उपलब्ध है (पूर्ण/आंशिक)	गांव में उपलब्ध नहीं है। (पूर्ण/आंशिक)	विशेष विवरण
1. <u>सेनीटेशन</u> अ. सफाई व्यवस्था। ब. खुले में शौच से मुक्ति। स. गन्दे पानी की व्यवस्थित निकासी/ निस्तारण। द. नाली निर्माण एवं सफाई की व्यवस्था। य. ठोस एवं तरल कचरा संग्रहण व्यवस्था। र. संस्थागत एवं सार्वजनिक शौचालय।			
2. <u>स्वास्थ्य</u> अ. स्वच्छ पेयजल की स्थिति । ब. राजकीय/सामुदायिक परिसर। स. स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता। द. वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं आर ओ.।			

3. <u>ग्रामीण सड़के</u> अ. गांव की पक्की आन्तरिक सड़कें मय नाली। ब. राजकीय कार्यालय, शिक्षा, एवं चिकित्सा केन्द्रों, धार्मिक स्थलों हेतु सुगम मार्ग। स. आस पास के निकटतम गांवों को जोड़ने की सड़क।			
4. <u>शिक्षा एवं चिकित्सा</u> अ. छात्रों की संख्या के अनुपात में शाला भवन में कमरों की व्यवस्था। ब. प्रयोगशाला की व्यवस्था उपकरण, केमिकल्स, की व्यवस्था (उच्च मा. विद्यालय हेतु)। स. शिक्षा एवं चिकित्सालय केन्द्रों में शौचालय पेयजल एवं आवागमन की सुविधा। द. खेल मैदान, पुस्तकालय एवं खेलकूद की समुचित व्यवस्था। य. चिकित्सा, शिक्षा केन्द्र पर फर्नीचर एवं बेड की व्यवस्था (आवश्यकता अनुसार)।			
5. <u>विद्युत, व्यवस्था</u> अ. प्रत्येक घर में रोशनी की व्यवस्था। ब. राजकीय भवन, शिक्षा एवं चिकित्सा केन्द्र में रोशनी की व्यवस्था। स. गांव के आम रास्तों, सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों ग्राम चौपाल पर रोशनी की व्यवस्था।			
6. अन्य (कृपया पूर्ण विवरण अंकित करें)।			

इस संबंध में विभागीय आदेश प 5(1) ग्रावि/6/डीएमएम/2015 दिनांक 02.05.17 द्वारा जिला स्तर पर प्रशासनिक मद की एक प्रतिशत राशि में से सर्वे का कार्य अपने स्तर पर कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे।

अतः आप उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं पर सर्वे करवा कर उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित तहसीलदार, विकास अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, ब्लाक शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर, जिला स्तरीय कमेटी से अनुमोदन पश्चात प्रेषित करने का श्रम करावें, जिससे कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

परियोजना निर्देशक एवं
पदेन उप सचिव (एसएपी–।।)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चितौड़गढ़।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य मगरा विकास बोर्ड, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर।

परियोजना निर्देशक एवं
पदेन उप सचिव (एसएपी–।।)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–6)

क्रमांक एफ. 5(1)ग्रावि/6/DMM/2015 जयपुर, दिनांक 02 मई 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – अलवर, बारां, भरतपुर, बून्दी,
धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर,
अजमेर, भीलवाडा, चित्तौड़गढ, पाली एवं राजसमन्द ।

विषयः–डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में व्यय करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा आई.डी. संख्या 331700105 दिनांक 23.02.2017 द्वारा उक्त योजनान्तर्गत विस्तृत सर्वे, क्रिटिकल गैप्स चिन्हिकरण, तृतीय पक्ष मूल्यांकन इत्यादि हेतु उपलब्ध बजट में से 1 प्रतिशत राशि प्रशासनिक मद के रूप में व्यय करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, ताकि संबंधित योजना में शामिल ग्रामों का समुचित विकास हो सकें । भविष्य में राज्य स्तर पर संरक्षित राशि का प्रावधान 20 प्रतिशत के स्थान पर 19 प्रतिशत का रखा जावेगा। अतः उपरोक्तानुसार 1 % राशि डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका में वर्णित कार्यों में से आवश्यकता अनुरूप कार्य योजना तैयार कर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाकर राशि का व्यय किया जावे एवं कार्य योजना की एक प्रति विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें :–

क्र. सं.	कार्यों का विवरण	उपलब्ध राशि में से 1 प्रतिशत राशि तक का व्यय (व्यय राशि प्रतिशत में)
1	सर्वेक्षण	
	(a) गांवों को योजना अंतर्गत जोड़ने बाबत प्राप्त प्रस्तावों का सर्वेक्षण कर पात्रता की जांच करना ।	3.33
	(b)समस्त पात्र गांवों (नवीन एवं पुराने गांव) में आधारभूत सुविधाओं के क्रिटिकल गैप्स का सर्वेक्षण एवं ड्रेनेज हेतु लेवल्स (Levels) लेकर नक्शा तैयार करना (GPDP से प्राप्त आंकडों को भी उपयोग में लिया जावे) । (लगभग 4000 गांव के लिए राशि रू. 1500/– प्रति गांव की दर से)	40.00
2	कार्यशाला एवं बैठकें – योजना अन्तर्गत सर्वेक्षण आदि के संबंध में जानकारी बाबत कार्यशालाएँ आयोजित करना, तथा प्रगति समीक्षा बाबत बैठकें आयोजित करना ।	10.00
3	मोनिटरिंग–	
	(a) IT based quality Control real time monitoring system	5.33
	(b) Improvement of IWMS Software	4.67
	(c) Geo tagging /Vehicles as & When basis	10.00
4	तृतीय पक्ष मूल्यांकन।	10.00
5	कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण एवं सतत मोनिटरिंग (with sample test)	6.67
6	सफलता की कहानी (Impact Study)	3.33
7	दिशानिर्देशों में अनुमत अन्य कार्य ।	6.67
	योग प्रतिशत	100.00

DT/Release/Dang/55